"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त 2002—श्रावण 25, शक 1924

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2002

अधिसूचना

क्रमांक डी-15/127/2001-2002/14-3/1026.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-1-2002 की चतुर्थ पंक्ति में "प्रसंस्करण के लिये लाया जाता है" के स्थान पर "प्रसंस्करण के लिये लाया/खरीदा जाता है" छठवीं पंक्ति में "रोलर मिल" के स्थान पर "रोलर फ्लोर मिल" पढ़ा जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप सचिव.